अधिक खर्च पर ही सस्ती पड़ेगी बिजली

नए स्लैब और टेलीस्कोपिक प्रणाली से 16 .43 फीसद तक बिलों में कमी का अनुमान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में बिजली के नए स्लैब से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को ही कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। उपभोक्ता जितनी अधिक बिजली खर्च करेंगे, उनकी जेब का भार उतना कम होगा। बिजली की कम खपत वाले उपभोक्ताओं को मामूली राहत ही मिली है, लेकिन उन्हें उम्मीद कुछ ज्यादा की थी।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली का नया स्लैब घोषित करने तथा टेलीस्कोपिक प्रणाली को नए सिरे से लागू करने के बाद उपभोक्ताओं के बिलों में 16.43 फीसदी तक कमी आने का अनुमान है। प्रो. संपत सिंह और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) की पुनर्विचार याचिकाओं पर निर्णय देते हुए आयोग ने बिजली का नया स्लैब जारी किया और टेलीस्कोपिक प्रणाली को लागू किया है। प्रो. संपत ने बिजली कंपनियों को पार्टी बनाते हुए 7 मई 2015 के उस आदेश पर पुनर्विचार करने की याचिका दायर की थी, जिसमें बिजली के रेट बढ़ाते हुए टेलीस्कोपिक प्रणाली को खत्म कर दिया गया था और स्लैब बदल दिए गए थे। आयोग के चेयरमैन जगजीत सिंह और सदस्य एमएस पुरी ने फैसला सुनाया है। टेलीस्कोपिक प्रणाली के जरिए विद्युत उपभोक्ता को स्लैबवार अलग-अलग दामों का यूनिटवार लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए 0 से 100 यूनिट और 101 से 250 यूनिट के यदि अलग-अलग दाम हैं तो दोनों के अलग-अलग दामों को जोड़कर बिजली उपभोक्ता का बिल तैयार किया जाता है।

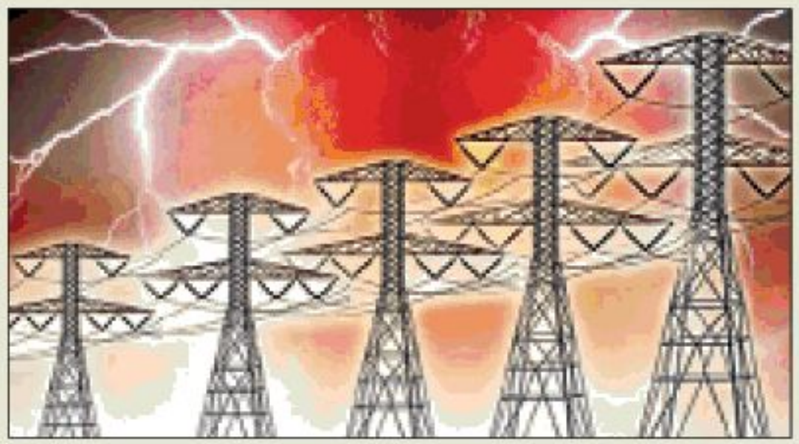

हमने पब्लिक हित में और बिजली कंपनियों के कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है। टेलीस्कोपिक प्रणाली को नए सिरे से लागू किया है। बिजली कंपनियों को पब्लिक हित साधने के कड़े निर्देश जारी किए गए। गाइड लाइंस तैयार करते हुए उनके अनुपालन को कहा गया है। बिजली कंपनियों ने आयोग को बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के तमाम बंदोबस्त किए जाएंगे। हमने आदेशों में बिजली कंपनियों के लिए हिदायतें भी जारी की हैं। बड़े उपभोक्ताओं के बिलों में ज्यादा लाभ की उम्मीद है।

– जगजीत सिंह, चेयरमैन, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग।

स्लैब बदलने के साथ-साथ यूनिट भी बढ़ाए

बिजली उपभोक्ताओं को अब 0 से 150 यूनिट पर 4.50 रुपये, 151 से 250 यूनिट पर 5 रुपये, 251 से 500 यूनिट पर 6.05 रुपये और 501 से 800 यूनिट पर 6.75 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। 800 से अधिक यूनिट पर फ्लैट 6.75 रुपये प्रति यूनिट लगेंगे। नया फैसला आने से पहले 500 यूनिट तक ही स्लैब बनाया गया था, जो टेलीस्कोपिक नहीं था। यानि 500 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को फ्लैट 6.75 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ रहा था, मगर अब इन यूनिट में 300 की बढ़ोतरी करते हुए अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को लाभ दिया गया है। पहला स्लैब भी सीधे 0 से 250 यूनिट का था।

यूनिटवार यह मिलेगी उपभोक्ताओं को राहत

खपत-	पुराना बिल	नया बिल	रुपये में लाभ	प्रतिशत में लाभ
40 यूनिट	159 .6	159 .6	0	0
50	202 .4	202 .4	0	0
100	506 .4	506 .4	0	0
101	653 .0	602 .5	50 .5	7 .73
150	975 .4	900 .4	75	7 .69
151	982 .0	907 .0	75	7 .64
250	1633 .4	1558 .4	75	4 .59
251	1641 .1	1566 .1	75	4 .57
500	3563 .4	3488 .4	75	2 .10
501	4184 .4	3496 .9	687 .5	16 .43
600	5029 .9	4342 .4	687 .5	13 .67
800	6737 .9-	6054 .4	687 .5	10 .20

बिजली की दरों पर इनेलो ने फिर सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने बिजली दरों पर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिजली की दरें घटाने की बजाय मात्र स्लैब प्रणाली बहाल करने से लोगों का भला नहीं होने वाला है। सरकार जब तक बढ़ाई गई बिजली की दरें और बढ़ाए गए फ्यूल सरचार्ज को वापस नहीं लेती, तब तक जनता आंकड़ेबाजी के खेल से संतुष्ट नहीं होगी। अभय चौटाला ने कहा कि बिजली की बढ़ी दरों में कोई कटौती नहीं की गई। न फ्यूल सरचार्ज समाप्त किया गया है। बिजली की दरों में 77 पैसे से 80 पैसे प्रति यूनिट और एफएसए की बढ़ोतरी से लोगों पर भारी भरकम बोझ डाला गया है। सरकार ने 100 यूनिट तक खपत करने वाले गरीब उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट पर मिलने वाले स्लैब का लाभ समाप्त कर दिया।

बिजली कंपनियों को देना होगा सिक्योरिटी पर ब्याज

◆ विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन ने दिए कड़े आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा की बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं द्वारा भरी जाने वाली सिक्योरिटी राशि पर अनिवार्य रूप से ब्याज देना होगा। इसका भुगतान नहीं करने पर प्रति दिन एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

जगजीत सिंह

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली यूनिट और दामों का नया टेलीस्कोपिक स्लैब जारी करते हुए बिजली कंपनियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए है। आयोग के चेयरमैन जगजीत सिंह और सदस्य एमके पुरी ने बिजली कंपनियों को सेवाएं प्रदान करते समय उपभोक्ता हित ध्यान में रखने की हिदायतें दी। बिजली कंपनियों को बिलों का मौजूदा प्रारूप बदलने को कहा गया है। आयोग ने निर्देश दिए कि प्रत्येक बिल पर उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली, स्लैबवार उसका रेट, पिछला बकाया, कोई नया चार्ज अथवा जुर्माना अंकित होना चाहिए। बिलों में पिछले महीनों में खर्च की गई बिजली और उसके भुगतान की भी पूरी जानकारी दी जाए, ताकि उपभोक्ता अपने हर बार के बिल में तुलनात्मक अध्ययन कर बजट तैयार कर सके। आयोग के चेयरमैन ने सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों से बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को 0.25 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी। एडवांस बिल (पैसे) जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को आठ प्रतिशत तक लाभ देने के निर्देश आयोग ने बिजली कंपनियों को दिए हैं। बैंक सेविंग खातों पर चार प्रतिशत ब्याज देता है। इस लाभ के साथ-साथ बिजली कंपनियों को ऐसे उपभोक्ताओं को चार प्रतिशत अलग लाभ देने को कहा गया है।

बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे सरकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओ को दी गई राहत को नाकाफी बताते हुए उन्हें सब्सिडी देने की मांग की है। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि गरियाणा बिजली नियामक आयोग ने 7 मई, 2015 को आदेश जारी कर उपभोक्ताओ पर 1500 करोड़ रुपये का बोझ डाला था। उसके बाद फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट के नाम पर एक अप्रैल से 37 पैसे प्रति यूनिट और एक जुलाई से तीन पैसे प्रति यूनिट और बोझ डाला था। आयोग ने जिस तरह बिजली दरें तय की थी और स्लैब सिस्टम घटाकर कम की थी, उससे 1500 करोड़ रुपये के बजाय कई गुना ज्यादा बोझ पड़ा है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के आंदोलन पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने उपभोक्ताओं को भारी राहत देने की घोषणा की थी।